

**ENGLISH TRANSLATION OF  
ORIGINAL NSS SANCTION LETTER**

**Rajasthan Government  
Education (Group – 4A) Department  
Government Secretariat, Jaipur**

**Number P. 3(2) Education/Group 4A/2016**

**Jaipur, Date: 08.08.2022**

Principal  
St. Xavier's College,  
Jaipur

**Subject:** Regarding National Service Scheme unit allocation.

Sir,


Under the above-mentioned article, as per your application, 01 unit is allotted for St. Xavier's College Jaipur in the session 2022-23.

Therefore, ensure to operate the unit as per the rules of the attached forms.

Attached: - above

Sincerely

(Dr. Dharmendra Singh)  
State Liaison Officer

  
Principal  
St. Xavier's College Jaipur  
Nevta-Mahapura Road, Jaipur

**Rajasthan Government**  
**Education (Group – 4A) Department**

Number P. 3(2) Education/Group 4A/2016

Jaipur, Date: 08.08.2022

Principal  
St. Xavier's College,  
Jaipur

**Subject:** Regarding National Service Scheme unit allocation.

Sir,

It is mentioned above that as per your application, 01 unit (100 volunteers per unit) has been allotted to your university/college for the session 2022-23.


Therefore, for advance action for the allotted unit, please make efforts to provide the bank account information within seven days by registered post and also send it on e-mail (Slonssrajasthan@gmail.com) so that the university/college can be registered on the PFMS portal. . If the account is already registered on PFMS portal then do the mapping of National Service Scheme (9230) scheme from your organization with the help of PATH as follows:-

Login Admin - My Scheme- Register New Scheme 9230 -Selected Funding Agency - will receive fund from this agency search select-Agency- Unique Code Rajasthan - Search select Rajasthan State NSS Cell then Enter you bank detail as required in Blue hyperlink- Click- Scheme Component mapping- Bulk – Select- Save

Please inform this office also about the action taken. If PFMS is not registered on the portal then provide the following information: -

1. Name of the organization with pin code and telephone number
2. Principal's name and mobile number
3. Account number (which should be in the name of the institution)
4. IFS CODE
5. Email Id
6. Cross Check

This account should not be linked to any other scheme on PFMS like RUSA etc.


  
Principal  
St. Xavier's College Jaipur  
Nevta-Mahapura Road, Jaipur

A photocopy of the main guidelines related to the National Service Scheme is being sent and the attached form (1 to 25 columns) must be completed and informed to this office by 15.09.2022.

Sincerely

(Dr. Dharmendra Singh)

State Liaison Officer



Principal

St. Xavier's College Jaipur  
Nevta-Mahapura Road, Jaipur

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप - 4 अ) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक प. 3(2)शिक्षा/ग्रुप 4अ/2016

जयपुर, दिनांक : 08.08.2022

प्राचार्य  
सेन्ट जेवियर कॉलेज  
जयपुर

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदनानुसार सत्र 2022-23 में

सेन्ट जेवियर कॉलेज, जयपुर

हेतु 01 इकाई आवंटित की जाती है।

अतः संलग्न प्रपत्रों के नियमानुसार इकाई संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

  
08.08.22

(डॉ. धर्मेन्द्र सिंह)

राज्य सम्पर्क अधिकारी

[ईमेल-[slonssrajasthan@gmail.com](mailto:slonssrajasthan@gmail.com)]

!! शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, ए.एस.ओ. भवन तृतीय तल कमरा नं० 8313, शासन सचिवालय, जयपुर!!

230

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप - 4 अ) विभाग

क्रमांक प. 3(2)शिक्षा/ग्रुप 4अ/2016

जयपुर, दिनांक : 08.08.2022

प्राचार्य  
राजस्थान विश्वविद्यालय  
जयपुर

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदनानुसार सत्र 2022-23 हेतु आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को [O.] इकाई (100 स्वयं सेवक प्रति इकाई) आवंटित की गई है।

अतः कृपया तदनुसार आवंटित इकाई हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये बैंक खाते की सूचनाएँ सात दिवस में रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराते हुए ई-मेल (slonssrajasthan@gmail.com) पर भी भिजवाने का श्रम करें जिससे कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का PFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सके। खाता पूर्व में PFMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो अपनी संस्था से राष्ट्रीय सेवा योजना (9230) स्कीम को PATN की सहायता से मैपिंग निम्नानुसार करें:-

Login Admin My Scheme Register New Scheme 9230  
Select Funding Agency I will receive fund from this agency search  
Select-Agency Unique Code rajasthanss Search select Rajasthan  
State NSS Cell then Enter your bank detail as required Blue hyperlink  
को Click कर Scheme Component mapping में Bulk को Select कर Save करें।


इस कार्यालय को भी की गई कार्यवाही से अवगत कराये। यदि PFMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराये:-

1. संस्था का नाम भव भिन कोड व टेलिफोन नम्बर
2. प्राचार्य का नाम व मोबाइल नम्बर
3. खाता संख्या (जो कि संस्था के नाम से हो)
4. IFS CODE
5. Email id
6. कॉस बैंक

यह खाता PFMS पर किसी अन्य योजना जैसे- RUSA इत्यादि से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित प्रमुख दिशा-निर्देशों की छाया प्रति प्रेषित की जा रही है एवं संलग्न प्रपत्र (1 से 25 कॉलम) को पूर्ण कर दिनांक 15.09.2022 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को अवगत कराये।

भवदीय,

  
(डॉ. धर्मनंद सिंह)  
राज्य सम्पर्क अधिकारी

{ईमेल - slonssrajasthan@gmail.com}

!! शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, ए.एस.ओ. भवन तृतीय तल कमरा no 6313, शारदा सचिवालय, जयपुर!!



राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-4 'अ') विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

1. राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई का आशय 100 विद्यार्थी एवं एक कार्यक्रम अधिकारी हैं।
2. कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्ति उन्हीं प्राध्यापकों में से की जानी चाहिए, जो युवा हों, काम करने के इच्छुक एवं सामुदायिक सेवा हेतु समर्पित भाव रखते हों।
3. राज्य सरकार एवं आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
4. कार्यक्रम अधिकारी सीधा पत्र व्यवहार न करें। प्रत्येक पत्र में प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर अवश्य हों या पत्र पर प्राचार्य के की हस्ताक्षर हों, पत्र व्यवहार के समय प्राचार्य का नाम, ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करें।
5. संस्था के अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई अपना कार्य सुचारु रूप से करती रहे। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी को मदद करना, लिपिकीय सहायता पहुँचाना तथा स्थान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना परामर्शदात्री समिति का गठन करें।
6. एन.एस.एस. से संबन्धित विभिन्न सूचनाएँ एवं निर्देश, एन.एस.एस. वार्षिक कैलेंडर आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर भी प्रसारित किये जाते हैं। प्राचार्यों से अनुरोध है कि प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
7. सत्र प्रारम्भ में इकाइयों में स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन होते ही इनकी सूचना Excel Sheet में Font type - Time New Roman Font Size 12 में एक ही लाइन में कॉलम 1 से 25 तक सॉफ्ट कॉपी में ई-मेल द्वारा [slonssrajasthan@gmail.com](mailto:slonssrajasthan@gmail.com) पर भेजें। (परिशिष्ट-"क")
8. विशेष शिविर प्रारम्भ की सूचना एवं परिशिष्ट "क" की सूचनाएँ निम्न तीन कार्यालयों को भिजवाई जानी चाहिए:-
  - i. राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, कमरा नं. 8313, ए.एस.एस.ओ. भवन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
  - ii. क्षेत्रीय निदेशालय, एन.एस.एस., बी-7, देव नगर, टॉक रोड, जयपुर।
  - iii. समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. राष्ट्रीय सेवा योजना का लेखा जोखा रजिस्टर कार्यालय द्वारा पूर्ण कर रखना चाहिए तथा स्थाई सामान खरीदने पर उसको स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करना आवश्यक है क्योंकि निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है।
10. सूचना पट्ट अलग से होना चाहिए।
11. त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक एवं विशेष शिविर प्रविवेदन समय-समय पर इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. अनुदान राशि Annexure-D के अनुसार खर्च की जायें।
13. विशेष शिविर, एक दिवसीय शिविरों हेतु धनराशि महाविद्यालय द्वारा आयुक्तालय के आदेशानुसार आदेश क्रमांक प. 20(205)/एनएसएस/आकाशि/2003/830 दिनांक 19.01.2008 एवं प-9(विविध)/एनएसएस/आकाशि/09/12 दिनांक 08.01.2010 के तहत महाविद्यालय से खर्च की जा सकती है। (पत्र संलग्न)

14. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस 31 मार्च से पूर्व लेखा जोखा कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
15. अनुदान राशि व्यय का लेखा जोखा PFMS पोर्टल के माध्यम करें।
16. अनुदान राशि में शेष रहने पर PFMS पोर्टल के माध्यम से ही वापस "Rajasthan State NSS Cell" के बैंक खाते में स्थानान्तरित करें।
17. वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह के प्रारम्भ में समय से सगरत खर्चों का विवरण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महाविद्यालय कार्यालय में जमा कराना होगा।
18. सगरत खर्चों का व्यय विवरण कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त होने पर कार्यालय लिपिक द्वारा 31 मार्च से पूर्व ही PFMS पोर्टल पर इन्द्राज एवं सगरत कार्यवाही कराने की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।
19. वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरान्त "उपयोगिता प्रमाण-पत्र" (व्यय-विवरण) निर्धारित प्रपत्र A,D,F में तैयार कर वार्षिक प्रतिवेदन के साथ अप्रैल माह के अंत तक इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
20. निजी संस्थायें प्राचार्य के माध्यम से सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की ऑडिट रिपोर्ट प्रपत्र A,D,F के साथ प्रेषित करें।
21. कार्यक्रम अधिकारी वर्षभर कार्यक्रम कलैण्डर के अनुसार करेंगे।
22. सभी सूचनाएं गेल द्वारा प्रेषित होती हैं वर्तमान में प्रभावी सूचनातंत्र जैसे ई-मेल द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाली सूचनाएं एवं आदेश अपने कार्यालय द्वार प्रतिदिन अवलोकन करते रहना चाहिए।
23. बकाया राशि वापस लौटाने हेतु निम्नानुसार PFMS पोर्टल पर कार्यवाही की जा सकती है।

#### FUNDS TRANSFER TO HIGHER AGENCY

Admin login → Go to transfer → Transfer to higher agency

New page → Scheme → Bank Account → Letter/office order No & Date → Transaction date → Transferring Amount → Scheme Component → Higher Agency (Rajasthan state NSS Cell) Narration → save - Green color in last of page - click on payee detail New page - select instrument type (Epayment print Advice) → click on Add Button New Page - Check all details & Approve → Print PPA → Submit to bank after sign by authority.

24. अनुदान राशि संस्थान के खाते में ऑनलाइन PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है उसे समय-समय पर खाते में देखकर अनुदान राशि स्थानान्तरण होने पर प्राप्त करना होगा।
25. सभी खर्चों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा।
26. उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष (31 मार्च) के पश्चात् शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। अन्यथा अग्रिम वर्ष का अनुदान जारी नहीं किया जायेगा।
27. वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति इस कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक एवं समन्वयक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करनी होगी।

(डॉ० धर्मोत्तर सिंह)

राज्य सम्पर्क अधिकारी



**Government of Rajasthan  
Education (Gp.-4A) Department  
Secretariat, Jaipur**

Annexure-A

**STATEMENT SHOWING THE REGULAR N.S.S. ACTIVITIES PROGRAMMES  
FOR THE YEAR 2022-23**

S. No.	Name of the University/ College/ School	Amount Sanctioned in Rs	No. of Volunteers allotted	Actual Volunteers Participated		Teachers/Others Participated	
				Male	Female	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8
	St. Xavier's College, Jaipur	71000	100	57	43	01	00

Total hours of work				Actual Expenditure in Rs	Balance if any in Rs.	Remarks
Male Volunteers	Female Volunteers	Teachers	Total Hours			
9	10	11	12	13	14	15
6840	5160	130	12130	71000	Nil	-

*Pradeep*

Dr Pradeep Soni  
Name & Sign. of Coord. with seal  
Mob. No. 9214307857  
St. Xavier's College  
Jaipur



*Rang...*

Name & Sign. of  
Registrar/ Principal with seal  
St. Xavier's College, Jaipur  
Nevta-Mahapura Road, Jaipur



Government of Rajasthan  
Education (Gp.-4A) Department  
Secretariat, Jaipur

Annexure-D  
Wef 2022-23

IDEAL NORMS OF EXPENDITURE UNDER NSS ACTIVITY

Name of College: St. Xavier's College, Jaipur

A	1. University/ College/School level expenditure	Rs.14,000/-
	i Transport for NSS Unit	NIL
	ii Certificate / Badges demonstration etc	800
	iii Orientation training Seminars etc	NIL
	iv Publications for NSS Unit	NIL
	v Photographs	700
	vi Unit level other Expenditure	
	a) Camp orientation course to the Students	Nil
	b) Inauguration and closing	700
	c) Advisory committee meeting	NIL
	d) Refreshment for volunteers during regular activity	NIL
	e) maintenance of equipment's	NIL
	f) Sundry expenses	500
	2. Allowance for the part time clerk (100X12)	Rs. 1,200/-
	3. Printing/day to day stationary/ contingencies	Rs. 1,300/-
	4. Three one day camp in NSS (3x100x36=3600/- Per camp)	Rs. 10,800/-
	5. Establishment	
	i. Pocket allowances for programme officer for the unit of strength 100 and above for 12 months (500x12)	Rs.6000/-
	ii Purchase of equipment's	Rs. Nil
	Total Regular Activities	Rs. 36000
	B. Special Camp	Rs 35000/-
	Total (A+B)	<u>Rs. 71000</u>

ट :- जिन इकाइयों द्वारा विशेष शिविर का आयोजन नहीं किया जायेगा उन इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी / अधिकारियों को मानदेय देय नहीं होगा

Dr Pradeep Soni

Name & Sig. of Coord./P.O. with seal

Mob: 9214307857  
Officer

St. Xavier's College  
Jaipur



Name & Sign. of

Registrar/ Principal with seal

St. Xavier's College, Jaipur  
Nevta-Mahapura Road, Jaipur

**Government of Rajasthan  
Education (Gp. -4A) Department  
Secretariat, Jaipur**

Annexure-F

**STATEMENT SHOWING THE SPECILA CAMPING PROGRAMME  
Yearly Ending 31st March 2023**

No.	Name of the University/College/School	Place of Camp	Date of Camp		Volunteers Participated		Teachers/Others Participated	
			From	To	Male	Female	Male	Female
	2	3	4	5	6	7	8	9
	St. Xavier's College, Jaipur	College Campus	09 Feb.,2023	15 Feb.,2023	32	21	01	00

Expenditure incurred in Rs.							Saving	Excess	Remarks
Food	Travel	Accommodation	Another	Total in Rs.					
10	11	12	13	14	15	16	17		
35000	00	00	00	35000	00	00	-		

*Pradeep*  
Dr Pradeep Soni  
Name & Sig. of Coord/P.O. with seal  
Mob.: Mob.:9214307857

Dr. Pradeep Soni  
NSS Programme Officer  
St. Xavier's College  
Jaipur



*Rajesh*  
Name & Sign. of  
Registrar/ Principal with seal  
Principal  
St. Xavier's College, Jaipur  
Nevta-Mahapura Road, Jaipur